लिए विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, इस नीति में भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से मत्स्यन जलयान को चार्टर किये जाने की व्यवस्था है।

(ख) भारतीय मछुआरों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चार्टर किये गये विदेशी मत्स्यन जलयानों को सामान्य नियम के अनुसार पूर्वी तट से 12 नाविक मील परे और पश्चिमी तट से 24 नाविक मील परे प्रचालन की अनुमति दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, चार्टर किये गये विदेशी मत्स्यन जलयानों को दोनों तटों में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रचालन की अनुमति नहीं है।

Water problem in Rajasthan

2191. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had recently received representations from the Government of Rajasthan, and from M-Ps. and some organisations for assistance to solve the water problem in rural areas of Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof and the nature and extent of Assistance being given by the Central Government to solve the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) Matters pertaining to clearance of schemes under Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and additional allocations were raised in these letters. In 1986-87, Rs. 27 crores and in 1987-88, so far Rs. 8. 19 crores have been released by the Central Government to the Government of Rajasthan for implementing scheme under ARWSP. Rs. 2. 06 crores have been released in 1986-87 for the Mini Mission (Project Area) of Barmer district for undertaking activities under the Technology Mission on Drinking Water in Villages and Related Water Management. Under, drought assistance, Rs. 13. 81 crores ia 1986-87 and Rs. 8. 79 crores, in 1987-88 have been provided to the State for the Rural Water Supply Sector.

दिल्ली प्रशासन के खाद्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2192. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या है सच है कि सरकार को गत छः महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के गांधी नगर, के मण्डल संख्या 3 के वर्तमान मण्डल अधिकारी और मण्डल सं० 2, रघुवरपुरा के निरीक्षक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डल अधिकारी और निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, सर्किल संख्या 3, जिसके क्षेत्राधिकार में रघुवरपुरा क्षेत्र आता है, के खाद्य और आपूर्ति अधिकारी तथा सर्किल संख्या 3 (सर्किल संख्या 2 नहीं) के क्षेत्रीय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) इस बारे में विस्तृत जांच की गई है और संबंधित क्षेत्रीय निरीक्षक का तबादला कर दिया गया है। खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्रमाणित नहीं की जा सकी।